उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी

आवास आवंटन एंव वार्षिक मरम्मत नियमावली

1– आवास आवंटन नियमावल/ विनियम का अर्थ ।

2– आवास आवंटन समिति की परिभाषा।

3– आवासों का वर्गीकरण।

4– आवास आवंटन हेतु वरिष्ठता का निर्धारण।

5– आवासीय गृहों का आवंटन एवं निरस्तीकरण।

6– आवसीय गृहों का किराया निर्धारण एंव कटौतियां।

8– आवासों की वार्षिक मरम्मत।

1– आवास आवंटन नियमावली विनियम का अर्थ

(क) आवास आवंटन नियमावली का अर्थ उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की आवास आवंटन नियमावली से हैं। यह नियमावली/विनियम आवास आवंटन नियमावली के नाम से जानी जायेगी।

(ख) यह नियमावली उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय मुख्यालय/ परिसरों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों तथा उनमें कार्यरत शिक्षकों/अधिकारीयों/कर्मचारियों में समान रूप से लागू होगी। विश्वविद्यालय से बाहरी सेवा का कोई भी अधिकारी/शिक्षक/कर्मचारी इस नियमावली के अधीन पात्र नही होंगे।

(ग) यह नियमावली विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा पारित अनुमोदन/प्रशासनिक निर्णय की तिथि से लागू/प्रवृत मानी जायेगी।

(घ) आवास आवंटन नियमावली में परिवर्तन–यदि आवास आवंटन नियमावली में संशोधन किया जाना आवश्यक हो तो आवास आवंटन समिति की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के निर्णयानुसार किया जायेगा।

कुल सचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

2– आवास आवंटन समिति की परिभाषा

(क) आवास आवंटन समिति का अर्थ उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की आवास आवंटन समिति से है जिसके द्वारा विश्वविद्यालय के उपलब्ध आवासों का आवंटन किया जायेगा।

(ख) आवास आवंटन समिति–

1 कुलपति अथवा कुलपति जी द्वारा नामित प्रतिनिधि (जो कि निदेशक स्तर से कम न हो) – अध्यक्ष

(2) कुलसचिव –संयोजक

(3) उपकुलसचिव/नोडल अधिकारी (निर्माण)– सह संयोजक

(4) कुलपति जी द्वारा नामित निदेशक– सदस्य

(5) वित्त नियंत्रक– सदस्य

(6) परीक्षा नियंत्रक– सदस्य

(7) शिक्षक संगठन के (अध्यक्ष/सचिव) जो कि विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो–सदस्य

(8) शिक्षणेत्तर कर्मचारी संगठन के (अध्यक्ष/सचिव) जो कि विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो–सदस्य

(ग) आवास आवंटन समिति की बैठक का आयोजन आवास उपलब्ध होने पर संयोजक की अनुशंसा पर विशेष परिस्थितियों/आवश्यकतानुसार कुलपति जी की अनुमति से कभी भी बुलाई जा सकती हैं।समिति की बैठक हेतु 02 तिहाई बहुमत आवश्यक है।

(ख) उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय स्थित आवास ों का वर्गीकरण–

1 परिसर में निर्मित कुलपति आवास – कुलपति जी हेतु आरक्षित।

2 परिसर में निर्मित टाईप–2 के आवास – तृतीय श्रेणी कर्मचारी (पे लेबल –5 तक) /वाहन चालक आवास ।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

4— आवास आवंटन हेतु वरिष्ठता का निर्धारण।

आवास आवंटन हेंतु वरिष्ठता का निर्धारण विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षकों अधिकारियो एवं कर्मचारियों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि (स्टेशन वरीष्ठता) के आधार पर किया जायेगा। यदि आवास आवंटन हेतु प्रतिक्षारत शिक्षको/अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण होता है तो सम्बन्धित की वरिष्ठता कार्यभार ग्रहण करने या आवेदन के अनुसार विश्वविद्यालय के अन्य स्थनान्तरित स्थल पर भी यथावत रहेगी।

5— आवासीय गृहों का आवंटन/आवंटन निरस्तीकरण

(क) – विश्वविद्यालय में आवास रिक्त होने पर श्रेणीवार आवास आवंटन हेतु इच्छुक कर्मचारियों/अधिकारियों/शिक्षकों से आवेदन आमन्त्रित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर विज्ञप्ति जारी की जायेगी तद्नुसार आवास आवंटन समिति द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप वरिष्ठता क्रम से आवास आवंटित किये जायेंगे। यदि कोई कर्मचारी/अधिकारी/शिक्षक किन्ही कारणों से रिक्त आवास हेतु जारी विज्ञप्ति के अनुसार आवास आवंटन हेतु आवेदन नही करता है तो ऐसी स्थिति में भविष्य मे रिक्त होने वाले आवासों के आवंटन हेतु भी उनकी वरिष्ठता यथावत बनी रहेगी।

(ख)— आवास गृहों का आवंटन आवास प्रतीक्षा सूची से आवास खाली होने पर क्रमानुसार किया जायेगा। टाईप 2 श्रेणी के आवासों का आवंटन में आवश्यक सेवाओं से जुड़े नियमित कार्मिक जैसे वाहन चालक/विधुतकार/प्लम्बर को वरीयता दी जायेगी। उपलब्ध आवासों के सापेक्ष नियमित कार्मिकों द्वारा आवास आवंटन हेतु आवेदन नही किये जाने की दशा में विशेष परिस्थितियों में मा0 कुलपति जी द्वारा अनुकंपा के आधार पर उपनल/ बाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से नियोजित कार्मिकों को आवंटन पर विचार किया जा सकता है।

(घ)— विश्वविद्यालय में आवास आवंटन में शासनादेशानुसार आरक्षण लागू किया जायेगा।

कुल सचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

(ङ)– किसी भी आवंटी को विश्वविद्यालय का आवंटित आवास को किसी भी अन्य व्यक्ति को Subletting करने का अधिकार नहीं होगा। उक्त के सदर्भ में यदि किसी आवंटी के विरूद शिकायत सही पायी जाती है तो उसका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

(च)– यदि कोई आवंटी अपना आवंटित आवास छोडना चाहे तो इसकी सूचना 30 दिन पूर्व विश्वविद्यालय को देगा।

(छ)– एक बार आवास आवंटित होने पर आवास का पुर्नआवंटन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(ज)– यदि कोई कर्मचारी/शिक्षक/अधिकारी अपनी स्वेच्छा से अपने पद से निचले श्रेणी का आवास लेता है तो ऐसे कर्मचारी/शिक्षक/अधिकारी का भविष्य मे पद के अनुरूप आवास का दावा मान्य नही होगा ऐसे कर्मचारी को अपने पद के अनुरूप आवास आवंटन चाहने हेतु अपनी श्रेणी में आवास आवंटन प्रतीक्षा सूची में आवेदन करना होगा तदुपरांत कमानुसार आवास आवंटित किया जायेगा।

(झ)– यदि कोई कर्मचारी/शिक्षक/अधिकारी अपने पद के अनुरूप आवास की मॉग करता है तो उसको पद के अनुसार उस श्रेणी में आवास आवंटन हेतु आवेदन करना होगा तदनुसार आवास वरीयता कम से सम्बधित कर्मचारी/शिक्षक/अधिकारी को पद के अनुरूप आवास खाली होने पर आवास आवंटित किया जायेगा।

(ण)– यदि कोई आवंटी अपने आवासीय परिसर में अभद्र व्यवहार या किन्ही कारणों से जॉच के उपरान्त दोषी पाया जाता है तो विश्वविद्यालय को उसका आवंटन निरस्त कर तत्काल आवास खाली कराने का पूर्ण अधिकार होगा।

(त)– कुलपति को 10 प्रतिशत का कोटा प्रत्येक श्रेणी के आवास आवंटन का विशेषाधिकार होगा। इस हेतु मानक किराया तथा आवास किराया नियमानुसार सम्बन्धित श्रेणी के अनुसार होगा।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

(थ)– आवंटी द्वारा विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर में पशुपालन किया जाना पूर्णत प्रतिबन्धित होगा।

6– **आवासीय गृहों का किराया निर्धारित एंव कटौतियॉ।**

(क)– आवास के निर्धारित मानक किराये की कटौती आवंटी के वेतन से प्रतिमाह की जायेगी एवं आवंटी को मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा।

(ख)– आवास के बिजली के बिल का वास्तविक भुगतान आवंटी द्वारा किया जायेगा व टाईप 2 श्रेणी के आवासों हेतु रू0 50 प्रति आवंटी प्रति माह पानी के उपयोग की कटौती की जायेगी ।

7– नियमानुसार खाली न करने पर किराये की वसूली एवं विधिक कार्यवाही।

(क)– विभाग से बाहर प्रतिनियुक्ति तथा बाह्य सेवा पर जाने वाले विभागीय कर्मचारी/अधिकारी/शिक्षक या यदि कोई विभागीय कर्मचारी/अधिकारी/शिक्षक जिसे आवास पहले से आवंटित है, विभाग से बाहर प्रतिनियुक्ति तथा बाह्य सेवा पर चला जाता है तो ऐसे कर्मचारी/अधिकारी/शिक्षक को प्रतिनियुक्ति अथवा बाह्य सेवा हेतु नियमानुसार स्वीकृत अवधि तक आवंटित आवास के मानक किराये का भुगतान करना होगा।निर्धारित अवधि के उपरान्त ऐसे आवंटी को आवास रिक्त कर खाली करना होगा। निर्धारित अवधि के उपरान्त आवास रिक्त न करने पर ऐसे आवंटी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(ख)– सेवानिवृत्त अथवा मृत्यु अथवा पदच्चयुत होने पर पदाधिकारी/उसका परिवार जैसी भी स्थिति हो आवंटित आवास में निम्नलिखित नियमों के अर्न्तगत निवास कर सकता हैं–:

1– सेवानिवृत्त होने पर आवंटी अथवा उसका परिवार जैसी भी स्थिति हो आवास में सेवामुक्त होने की तिथि से अधिकतग छः माह तक आवंटित आवास में पीनल किराये पर निवास कर सकता है।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

2– आवंटी की मृत्यु होने पर उसका परिवार जैसी भी स्थिति हो आवास में सेवामुक्त होने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष तक आवंटित आवास में पीनल किराये पर निवास कर सकता हैं।

3– त्यागपत्र, बरखस्तगी अथवा सेवा से हटाये जाने की दशा में आवंटी व उसकी परिवार जैसी भी स्थिति हो त्यागपत्र बरखस्तगी अथवा सेवा से हटाये जाने की तिथि से अधिकतम तीन माह तक आवंटित आवास में निवास कर सकता है। निर्धारित अवधि के उपरान्त ऐसे आवंटी को आवास रिक्त कर खाली करना होगा। निर्धारित अवधि के उपरान्त आवास रिक्त न करने पर ऐसे आवंटी के विरूद नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि सेवानिवृत्त आवंटी या आवंटी की मृत्यु होने पर आवंटी अथवा उसके परिवार जैसी भी हो को आवंटित आवास मे निवास हेतु आवास आवंटन विनियम के पैरा 01व 02 में नियत अवधि के लिये नियोक्ता से अनुमति प्राप्त करनी होगी। यदि आवास में निवास की अनुमति प्राप्त नही की जाती अथवा स्वीकृति नही दी जाती है तो कब्जा अनधिकृत होगा और पदाधिकारी अथवा उसके परिवार जैसी भी स्थिति हो के विरूद विधिक कार्यवाही की जायेगी।

टिप्पणीः– पीनल किराये का अर्थ प्रथम माह आवास का निर्धारित किराया तदुपरान्त उपर्युक्त बिन्दु–7 के (ख) के पैरा 2 एवं 3 में उल्लिखित समय अवधि तक आवास के निर्धारित किराये के तीन गुणा होगा।

(ग)– ऐसे सेवारत कर्मचारीगण/अधिकारीगण/शिक्षकगण जिनको सरकारी आवास आवंटित है का आवास में अध्यासन किसी प्रकार से अनाधिकृत हो जाता है तब ऐसे अनधिकृत अध्यासी को नोटिस दिया जायेगा कि वह 15 दिन के भीतर आवास को रिक्त करें अन्यथा उसके विरूद यथास्थिति अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 441 में परिभाषित आपराधिक अतिचार के अपराध हेतु प्रथम सूचना रिर्पोट थाने में दर्ज करायी जायेगी सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम के अधीन कार्यवाही एंव दण्डनीय किराये को उनकी सम्पत्ति से

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

वसूलने की कार्यवाही की जायेगी। यदि नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के बाद भी कोई आवास रिक्त नही किया जाता तब ऐसा अनाधिकृत अध्यासी सरकारी सेवा में है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक एवं निलम्बन की कार्यवाही की जायेगी तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 441 में परिभाषित आपराधिक अतिचार के अपराध हेतु प्रथम सूचना रिर्पोट थाने में दर्ज करायी जायेगी। इसी प्रकार सेवानियुक्त अध्यासियों का अध्यासन अनाधिकृत हो जाने पर उनके सेवानिवृत्त लाभों में से एंव रिकवरी एक्ट के अधीन उनकी सम्पत्ति को विक्रय कर दण्डनीय किराया वसूल करने की कार्यवाही की जायेगी साथ ही उक्तानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज करायी जायेगी।–(उर्पयुक्त पैरा–मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका सं0 4064/2004 एस0डी0 बांदी बनाम सब डिविजनल स्टेट आफिसर में पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अद्ध0शा0 पत्र सं0 728/XXXII//2007 दिनांक 07 सितम्बर 2007 से लिया गया है)।

8– आवासों की वार्षिक अनुरक्षण।

1 आवासों की वार्षिक मरम्मत धन के उपलब्ध होने पर आवंटी के प्रार्थना पत्र की वरीयता एवं प्राथमिकता के आधार पर करवाया जायेगा।

2 आवासों में रंगाई पुताई का कार्य विश्वविद्यालय द्वारा वित्तीय उपलब्धता होने पर पॉच वर्ष में एक बार करवाया जायेगा।

3 आवासों में परिवर्तन एंव परिवर्धन किसी भी दशा में नही किया जायेगा। यदि किसी आवंटी द्वारा आवंटित आवास में किसी प्रकार का फेरबदल किया जाता है तो ऐसे आवंटी का आवंटन निरस्त किया जायेगा तथा आवंटी के विरूद अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)